



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072021-228203
CG-DL-E-09072021-228203

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2559]
No. 2559]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 9, 2021/आषाढ़ 18, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 9, 2021/ASHADHA 18, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2021

का.आ. 2764(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के पाटन जिले में NH 754K के कि.मी. 263.800 से कि.मी.269.500 (मौवाना - वौवा भाग) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् 'सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट, राधनपुर' (जिल्ला: पाटण) गुजरात को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा

ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के पाटण जिले में NH 754K के कि.मी. 263.800 से कि.मी.269.500 (मौवाना - बौवा भाग) तक भूमि अर्जन के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: पाटन			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: सांतलपुर					
गांव का नाम: बौवा					
1	104	सरकारी	गौचर	0.0241000(हेक्टेयर)	0.0241000
2	106	सरकारी	सरकारी पडत	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
3	108	निजी	कृषि	0.0203000(हेक्टेयर)	0.0203000
4	109p	निजी	कृषि	0.0466000(हेक्टेयर)	0.0466000
5	1166	निजी	कृषि	0.0191000(हेक्टेयर)	0.0191000
6	1169	निजी	कृषि	0.0516000(हेक्टेयर)	0.0516000
7	1279	निजी	कृषि	0.0181000(हेक्टेयर)	0.0181000
8	1282	निजी	कृषि	0.0003000(हेक्टेयर)	0.0003000
9	1283	निजी	कृषि	0.0153000(हेक्टेयर)	0.0153000
10	1295	निजी	कृषि	0.0426000(हेक्टेयर)	0.0426000
11	1296	निजी	कृषि	0.0109000(हेक्टेयर)	0.0109000
12	130	निजी	गैर कृषि	0.0007000(हेक्टेयर)	0.0007000
13	1316/A	सरकारी	गौचर	0.0034000(हेक्टेयर)	0.0034000
14	131p	निजी	कृषि	0.0131000(हेक्टेयर)	0.0131000
15	23	सरकारी	कृषि	0.0054000(हेक्टेयर)	0.0054000
16	24	निजी	कृषि	0.0431000(हेक्टेयर)	0.0431000
17	25	निजी	कृषि	0.0116000(हेक्टेयर)	0.0116000

18	26p	निजी	कृषि	0.0681000(हेक्टेयर)	0.0681000
19	35	निजी	कृषि	0.0133000(हेक्टेयर)	0.0133000
20	936/p1	निजी	कृषि	0.0097000(हेक्टेयर)	0.0097000
21	944	निजी	कृषि	0.0294000(हेक्टेयर)	0.0294000
22	962	निजी	कृषि	0.0508000(हेक्टेयर)	0.0508000
23	97	निजी	कृषि	0.0769000(हेक्टेयर)	0.0769000
24	99	निजी	कृषि	0.0197000(हेक्टेयर)	0.0197000
कुल				0.6241	0.6241

[फा. सं. 02/2019/GJ/ZONE-V/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th July, 2021

S.O. 2764(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH 754K in the stretch of land from Km 263.800 to Km269.500 (Mauvana- Vauva Section) in the district Patan in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Magistrate, Radhanpur (District-Patan) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH 754K in the stretch of land from km 263.800 to 269.500 (Missing link between Mauvana to Vauva) on National Highway No. 754K IN District - PATAN in the state of GUJARAT

State: GUJARAT		District: Patan			
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Santalpur					
Village: Vauva					
1	104	Government	Gaucher	0.0241000(Hectare)	0.0241000
2	106	Government	Government Waste Land	0.0300000(Hectare)	0.0300000
3	108	Private	Agriculture	0.0203000(Hectare)	0.0203000
4	109p	Private	Agriculture	0.0466000(Hectare)	0.0466000
5	1166	Private	Agriculture	0.0191000(Hectare)	0.0191000
6	1169	Private	Agriculture	0.0516000(Hectare)	0.0516000
7	1279	Private	Agriculture	0.0181000(Hectare)	0.0181000
8	1282	Private	Agriculture	0.0003000(Hectare)	0.0003000
9	1283	Private	Agriculture	0.0153000(Hectare)	0.0153000
10	1295	Private	Agriculture	0.0426000(Hectare)	0.0426000
11	1296	Private	Agriculture	0.0109000(Hectare)	0.0109000
12	130	Private	Non-Agriculture	0.0007000(Hectare)	0.0007000
13	1316/A	Government	Gauchar	0.0034000(Hectare)	0.0034000
14	131p	Private	Agriculture	0.0131000(Hectare)	0.0131000
15	23	Government	Agriculture	0.0054000(Hectare)	0.0054000
16	24	Private	Agriculture	0.0431000(Hectare)	0.0431000
17	25	Private	Agriculture	0.0116000(Hectare)	0.0116000
18	26p	Private	Agriculture	0.0681000(Hectare)	0.0681000
19	35	Private	Agriculture	0.0133000(Hectare)	0.0133000
20	936/p1	Private	Agriculture	0.0097000(Hectare)	0.0097000
21	944	Private	Agriculture	0.0294000(Hectare)	0.0294000
22	962	Private	Agriculture	0.0508000(Hectare)	0.0508000
23	97	Private	Agriculture	0.0769000(Hectare)	0.0769000
24	99	Private	Agriculture	0.0197000(Hectare)	0.0197000
Total				0.6241	0.6241

[F. No. 02/2019/GJ/ZONE-V/3A]

RAJESH GUPTA, Director